



प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषय:- राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) की पालना एवं राजकीय महाविद्यालयों में विशेष योग्यजनों को देय सुविधाओं एवं बाधारहित वातावरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आयुक्तालय विशेष योग्यजन के पत्र क्रमांक एफ1()/आयु.नि.जन./2023/14037 जयपुर दिनांक 27.03.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय में विशेष योग्यजन छात्रों के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. महाविद्यालय में कितने विशेष योग्यजन छात्रों का विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्रदान की गयी। सूचना का संधारण कर आयुक्तालय विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर, को प्रेषित करें।
2. महाविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कार्यरत विशेष व्याख्याताओं की सूची आयुक्तालय विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर, को प्रेषित करें।
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों के अनुकूल भवन निर्माण करें जिससे विशेष योग्यजनों की पहुँच सुगमतापूर्वक हो सके।
4. महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर विशेष योग्यजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) के अध्याय 8 में वर्णित धारा 39 (घ, ङ, च) के प्रावधानुसार विशेष योग्यजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करें।
6. विशेष योग्यजनों हेतु कॉलेज भवन निर्माण नियमों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) की शर्त प्रतिशत पालना की जावे एवं इन भवनों के (आगन्तुक/स्वागत कक्ष/प्रवेश द्वार) पर विशेष योग्यजनों के हितार्थ दिशा निर्देश पट्टिका जिसमें आयुक्तालय विशेष योग्यजन का नाम-श्री उमाशंकर शर्मा, राज्य आयुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार, दूरभाष नं०-0141-2222503, मो. नं.- 9602022229 अंकित करावे।

क्रमांक एफ 4 (7) विविध/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/ दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री उमाशंकर शर्मा, राज्य आयुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

Signature valid

Digitally signed by S. Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.04.04 11:19:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3544626

